वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 17.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, जागरूक एक्सप्रेस, जनवार्ता, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 17.12.2025

अवैध प्लॉटिंग से आम लोगों को सावधान करें इन्फ्लुएंसर्स : वीडीए उपाध्यक्ष

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने मंगलवार को जिले के प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक कर अवैध प्लॉटिंग से आम लोगों को सावधान करने का आग्रह किया। शहर में हो रहे नए निर्माण कार्यों के मानकों की जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि वाराणसी में किसी भी नए लेआउट या प्लॉटिंग के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि लेआउट स्वीकृति के लिए न्यूनतम नौ मीटर चौड़ी सड़क हो। भूमि उपयोग रेजिडेंशियल हो। यदि कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर से ज्यादा है, तो कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 15 प्रतिशत भाग पार्क के लिए आरक्षित होना अनिवार्य होगा। इन मानकों की पूर्ति होने पर ही लेआउट को स्वीकृति दी जाएगी। उधर, शहर में कई जगहों पर बिना लेआउट स्वीकृत 15 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति और प्रवर्तन दल मौजूद रहे। ब्यूरो

आज–दि0 17.12.2025

सुनियोजित विकासके लिए उपाध्यक्षने की बैठक

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोराने मंगलवारको सभागारमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आवश्यक बैठक की जिसमें निर्माण और प्लाटिंगके विरुद्ध जनजागरुकता लानेके लिए सहयोगकी अपील की। उन्होंने बताया कि नये लेआउट या प्लाटिंगके लिए निर्धारित मानकोंका पालन अनिवार्य है जिसमें नौ मीटरकी सड़क होना अनिवार्य है। भूमि उपयोग आवासीय होना चाहिए जिसका कुल क्षेत्रफल तीन हजार वर्ग मीटरसे अधिक हो। जिसमें कि १५ प्रतिशत पार्कके लिए आरक्षित होना आवश्यक है। इन मानकोंको पूरा करनेवाले कालोनाइजरोंको स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। बैठकमें उन्होंने अवैध निर्माण और प्लाटिंगके विषयमें भी विस्तारसे जानकारी दी और कहा कि शहरको सुव्यवस्थित बनानेके लिए अवैध निर्माणको रोकना आवश्यक है। इसकी वजहसे समाजका बड़ा वर्ग इससे प्रभावित होता है। उन्होंने आम नागरिकोंसे यह अनुरोध किया कि जमीन क्रय करते वक्त लेआउट स्वीकृति अवश्य देखें। ऐसा न होने पर आपका धन फंस सकता है। बैठकमें उपस्थित लोगोंसे उन्होंने जनहित अभियान चलानेका अनुरोध किया।

हिन्दुस्तान–दि0 17.12.2025

छितौनी और कोटवां में 1.5 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी, हिटी। वीडीए ने मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। शिवपुर वार्ड में अहिरान चमांव में कलावती देवी, आशुतोष सिंह व अजय यादव की ओर से लगभग ढाई बीघा में तथा पिसौर पेट्रोल पम्प टंकी के पास अज्ञात की ओर से 1.5 बीघा में प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया।

दशाश्वमेध वार्ड में छितौनी में कॉलोनाइजर आनंद पटेल द्वारा लगभग 5 बीघा तथा विनोद यादव और अनिल मिश्रा द्वारा लगभग 6 बीघा में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा लोहता में कोटवां गांव के हैबतपुर कस्बे में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 17.12.2025

अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

जिला प्रतिनिधि

वाराणसी। विकास प्राधिकरण (VDA) ने लोहता क्षेत्र के कोटवां हैबतपुर गांव में मानक के विपरीत की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कड़ी कार्रवाई की है। VDA की टीम ने जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति के नेतृत्व में जेसीबी मशीनों का उपयोग कर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।

यह कार्रवाई एक विशेष अभियान के तहत की गई, जिसमें लगभग 5000 से 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली अवैध प्लाटिंग को निशाना बनाया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह प्लाटिंग बिना लेआउट स्वीकृति और निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए की जा रही थी।

जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति ने बताया कि संबंधित भूखंडों के लिए विकास प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि VDA पूरे वाराणसी में अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रहा है, और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कार्रवाई के दौरान, VDA की पूरी टीम और पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या बाधा उत्पन्न न हो।

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनवार्ता–दि0 17.12.2025

जोन-1 व 3 में अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण

वीडीए की 15 बीघा पर बुलडोजर की कार्रवाई से मच गया हड़कंप

मंगलवार को वीडीए की जेसीबी अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करती।

वाराणसी (जनवार्ता)। शहर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अब सख्त रुख अपना लिया है। उपाध्यक्ष के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में जोन-1 और जोन-3 की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को लगभग 15 बीघा क्षेत्र में फैली अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई कर माफियाओं में हड़कंप मचा दिया।

जोन-1 के अंतर्गत वार्ड शिवपुर स्थित मौजा अहिरान चमांव में कलावती देवी, आशुतोष सिंह व अजय यादव द्वारा करीब 2.19 बीघा तथा पिसौर पेट्रोल पंप टंकी के पास अज्ञात द्वारा 1.5 बीघा में बिना स्वीकृत लेआउट के प्लॉटिंग की जा रही थी। वहीं जोन-3 के वार्ड दशाश्वमेध स्थित मौजा छितौनी में आनंद पटेल द्वारा 5 बीघा तथा विनोद यादव व अनिल मिश्रा द्वारा 6 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

वीडीए ने उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 के तहत सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई स्थल पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही।

प्राधिकरण ने आमजन को चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृत लेआउट खरीदी गई भूमि पर निर्माण करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। अवैध प्लॉटिंग माफियाओं के लिए यह कार्रवाई साफ संदेश है–अब कानून से बचना मुश्किल होगा।

न्यायाधीश–दि0 17.12.2025

वाविप्रा जोन-1 तथा जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल लगभग 15 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 तथा जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल लगभग 15 बीघा मे अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड- दशाश्वमेध, मौजा-छितौनी के अन्तर्गत आनंद पटेल द्वारा लगभग 5 बीघा मे तथा विनोद यादव और अनिल मिश्रा द्वारा लगभग 06 बीघा मे बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिसपर आज दिनांक 16/12/2025 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।वार्ड- शिवपुर,मौजा-अहिरान चमांव के अंतर्गत कलावती देवी, आशुतोष सिंह व अजय यादव वगैरह द्वारा लगभग 2.19 बीघा मे तथा पिसौर पेट्रोल पम्प टंकी के पास, पिसौर मे अज्ञात द्वारा लगभग 1.5 बीघा मे बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिसपर आज दिनांक 16/12/2025 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकश, रविन्द्र प्रकाश तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।